<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
पोकरराम दैया बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 27 / 2020</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>10.02.20</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पोकरराम दैया, पता गांव मोगड़ा कला, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.12...2019 में उसके द्वारा (1) दिनांक 01.01.2015 से सूचना उपलब्ध कराने की दिनांक तक जॉब कॉर्ड इन्द्राज रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 90 दिनांक 03.02.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर जिला परिषद जोधपुर से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 1947 दिनांक 20.12.2019 द्वारा अन्तरित की जा चुकी है। चूकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर जिला परिषद जोधपुर से संबंधित होने के कारण उनके अधिकारी को स्थानान्तरित किया जा चुकी है तथा इस बाबत् प्रार्थी को भी सूचित किया गया। अतः संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई है तो उनके सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जाध्धपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाय, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>